<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 78/2024 FSSA</u>

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री श्याम कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामावतार
   मैसर्सः—मित्तल ट्रेडर्स, बालाजी मोड तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री पियूष अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम तापडिया(मालिक)
   7/एच/4/7, सेक्टर—7, विद्याधर नगर जयपुर मैसर्स तापडिया इण्डस्ट्रीज 125, हनुमान नगर, जैसलिया, रोड नम्बर 17, वी के आई जयपुर।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 23.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 27.03.2024 को सायंकाल 05:00 बजे मैसर्सः— मित्तल ट्रेडर्स, बालाजी मोड तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री श्याम कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामावतार उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में साफ सुथरी रैक में लगभग 500 ग्राम **X** 10 पॉली पैक खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** में से 500 ग्राम **X** 4 पॉली पैक धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** क्रय किया। जिसकी कीमत 320 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 500 ग्राम **X** 4 पॉली पैक धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** को चार बराबर—बराबर भागो में बांटकर प्रत्येक भाग 500 ग्राम X 1 पॉली पैक धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** लेकर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक AC-1216 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के करवाकर चारो नमूना भागो को अलग—अलग [illegible] कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर नमूनो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG-4216** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप(सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म संख्या 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.03.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओं दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.03.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1180/एक्ट/2024/1333 दिनांक 09.04.2024 के अनुसार यह नमूना अमानक **(SUBSTANDARD)** का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1180/एक्ट/2024/1333 दिनांक 09.04.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार कमियां पाई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:40 IST
Reason: Self Attested

जांच रिपोर्ट में नमूने में **Natural colour [illegible]cum[illegible] Turmeric)** पाया गया है जो कि **Absent** होना चाहिये था।

Test for turmeric 'Positive' पाया गया है जो कि **'Negative'** होना चाहिये था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Natural colour curcumin (Turmeric)** पाये जाने एवं **Test for turmeric 'Positive'** पाये जाने से यह खाद्य पदार्थ अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड ब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी नम्बर 1 को खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक 500 ग्राम का पैकिट सील्ड हालत में प्राप्त हुआ था। जिस कारण विपक्षी नम्बर 1 को कोई इल्म व जानकारी नहीं थी कि उक्त धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड में कोई कमी है। नमूने में लिये गये खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक 500 ग्राम में सील्ड पैके पैकेट विपक्षी नम्बर 1 ने विपक्षी नम्ब 2 निर्माता फर्म मैसर्स तापडिया इण्डस्ट्रीज, रोड नम्बर 17, वीकेआई एरिया, जयपुर से उसी सील बन्द हालत में पैकेट खरीद किया था और विपक्षी नम्बर 1 ने धारा 26(4) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 के तहत जो बिल उक्त धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड 500 ग्राम को खरीदने का प्राप्त किया था वह गारन्टी की तारीफ में आता है और धारा 80 **(B)(2)(d)(1)** के तहत विपक्षी नम्बर 1 बचाव पाने का अधिकारी है। उक्त नमूना खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर ''तापडिया'' ब्राण्ड निर्माता फर्म द्वारा निर्माण व विक्रय किया गया था। जिसकी जिम्मेदारी भी निर्माता फर्म की होनी चाहिये थी। निर्माता फर्म द्वारा उक्त धनिया पाउडर के पैकेट का निर्माण व बेचान किया है उस कारण से उक्त धनिया पाउडर तापडिया ब्राण्ड में कोई कमी किसी भी रूप में पाई जाती है तो उक्त धनिया पाउडर ''तापडिया'' ब्राण्ड 500 ग्राम के पैकेट का निर्माता विपक्षी नम्बर 2 उत्तरदायी माना जा सकता है। फूड एनालिस्ट द्वारा नमूने की जांच में धनिया पाउडर की **Colouring Matter** की जांच की है। जिसमे धनिया पाउडर में **Turmeric** कलर मानते हुये सबस्टैण्डर्ड घोषित किया है। जांच में सभी मानक सही स्तर के पाये गये है। निर्माता फर्म एक छोटा व्यवसायी है जो पूर्ण रूप से साबुत मसाले खरीदकर शुद्ध रूप से पिसाई करके पैकिंग निर्माण व विक्रय का कार्य करता है। जिसके पास मसाला पीसने के लिये एक ही चक्की लगी हुई है। जिसमें साबुत धनिया, हल्दी, मिर्ची डालकर अलग-अलग रूप के मसाले तैयार करता है। उक्त धनिया पाउडर भी उसी में तैयार किया गया था जिसमें पहले साबुत हल्दी की पिसाई की गई थी बाद में चक्की पाट की सफाई करके साबुत धनिया डालकर धनिया पाउडर तैयार करके पैकिंग करके विक्रय किया गया था। इस कारण कुछ अंश कलर चक्की पार्ट में रह जाने के कारण साथ में धनिया पाउडर में हल्दी कलर आने की सम्भावना रहती है। निर्माता फर्म द्वारा शुद्धता का पुरा ध्यान रखा जाता है तथा चक्की पाट भी साफ करके दूसरा मसाला तैयार किया जाता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा यह नही बताया गया कि कलर की मात्रा कितनी थी। बिना कलर की मात्रा बताये खाद्य पदार्थ को सबस्टैण्डर्ड घोषित करना न्यायसंगत नहीं है। विक्रेता व फर्म निर्माता अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रूप से मसाले व धनिया पाउडर में मौजूद सभी मानको के अनुरूप व पैरामीटर के आधार पर ही माल का निर्माण व विक्रय करते है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त गण के विरूद्ध आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 78 / 2024 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1180/एक्ट/2024/1333 दिनांक 09.04.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** के नमूने में जांच रिपोर्ट में **Turemeric Colour** मौजूद होने व **Test for turmeric 'Positive'** पाये जाने से यह नमूना अमानक **(SUBSTANDARD)** स्तर का पाया गया है। यह खाद्य पदार्थ अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा विक्रय किया गया है व अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा निर्मित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ तापडिया ब्राण्ड पॉली पैक **(Coriander Powder Taparia Brand Poly Pack)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री पियूष अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम तापडिया(मालिक) 7/एच/4/7, सेक्टर–7, विद्याधर नगर जयपुर मैसर्स तापडिया इण्डस्ट्रीज 125, हनुमान नगर, जैसलिया, रोड नम्बर 17, वी के आई जयपुर पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 23.05.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .05.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री श्याम कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामावतार
   मैसर्सः–मित्तल ट्रेडर्स, बालाजी मोड तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री पियूष अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम तापडिया(मालिक)
   7/एच/4/7, सेक्टर–7, विद्याधर नगर जयपुर मैसर्स तापडिया इण्डस्ट्रीज 125, हनुमान नगर, जैसलिया, रोड नम्बर 17, वी के आई जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा